कार्यालय मुख्य वन संरक्षक (कुमाऊँ), उत्तरांचल, नैनीताल।

पत्रांक: 19 शिविर/10-3-12: दिनांक, देहरादून कैम्प, 25 फरवरी, 2001।

सेवा में,

1. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी (नाम से)
   कुमाऊँ क्षेत्र।
2. वन संरक्षक:
   उत्तरी कुमाऊँ/दक्षिणी कुमाऊँ (नाम से)
   तथा पश्चिमी वृत्त।
3. वन संरक्षक (नाम से)
   अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, उत्तरांचल,
   रामपुर रोड, हल्द्वानी।

विषय:- माननीय वन मंत्री जी उत्तरांचल शासन के निर्देशं

महोदय,

दिनांक 24-02-2001 को मा0 वन मंत्री उत्तरांचल शासन से वार्ता का सुअवसर प्राप्त हुआ। वार्ता के दौरान मा. वन मंत्री जी ने प्राथमिकता के आधार पर निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही के निर्देश दिये है। ज्ञातव्य है कि इनमें से अनेकों बिन्दुओं पर आपको पूर्व में भी पत्र लिखे गये है तथा हाल ही में फरवरी 10 व 11 को वानिकी एवं वन पंचायत प्रशिक्षण संस्थान में उत्तरांचल के वनाधिकारियों की हुई बैठक में भी इनमें से अधिकांश बिन्दुओं पर चर्चा की गई है। परन्तु अभी तक कोई ठोस कार्यवाही उपरोक्त बिन्दुओं पर नहीं हो पाई है जिस कारण आशातीत प्रगति नहीं प्रस्तुत की जा सकी है।

मा0 वन मंत्री जी कुमाऊँ क्षेत्र के भ्रमण में माह मार्च 2001 के प्रथम सप्ताह में आयेंगे और स्वाभाविक है कि इन बिन्दुओं पर पुन: चर्चा होगी अतएव आपका व्यक्तिगत व विशिष्ट ध्यान आकर्षित करते हुए यह निर्देशित किया जा रहा है कि आगामी प्रस्तरों में वर्णित कार्यवाही तत्काल पूर्ण कर ली जाय। क्योंकि बजट की समस्या भी शीघ्र ही हल हो, जायेगी इसलिए इन मदों पर प्रगति दर्शाने में अब कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। आगामी प्रस्तरों में मा0 वन मंत्री जी से हुई वार्ता के क्रम में कार्यवाही के निर्देश दिये जा रहे हैं इनमें जो अंश बोल्ड अक्षरों में लिखे गये है उन पर शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही होनी है।

1. मा0 वन मंत्री जी द्वारा प्रमुख सचिव वन को लिखा गया है कि दक्षिणी पिथौरागढ़ वन प्रभाग का मुख्यालय चम्पावत तथा पूर्वी अल्मोड़ा वन प्रभाग का मुख्यालय बागेश्वर में तत्काल स्थापित कर दिया जायं इस विषय में शीघ्र ही शासन के आदेश निर्गत होंगे अतएवं इस बीच में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी यथोचित कार्यवाही कर लें।

(कार्यवाही-प्र0व0 द0 पिथौरागढ़/पूर्वी अल्मोड़ा/व0सं0उ0कुमाऊँ वृत्त)

2. वन विभाग के पौधालयों में फलदार प्रजातियां यथा हरड़, बहेड़ा, ऑवला, रीठा, जामुन, आम, मेहल, काफल आदि उगाई जाये। कर्मचारियों के आवासीय परिसर, वन विश्राम भवनों तथा रेंज मुख्यालयों के समीप खाली पड़े रिक्त स्थान पर इन प्रजातियों को प्रदर्शन प्लॉट के रूप

में अवश्य लगाया जाय।

(कार्यवाही–समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/वन संरक्षक)

3. फलदार प्रजातियों का उपयुक्तता के अनुसार वन क्षेत्रों में रोपण किया जाना:– पश्चिमी वृत्त के ऐसे क्षेत्रों में जो वर्षाकाल में जलमग्न हो जाते हैं अथवा नालों के किनारे को जामुन के रोपण हेतु चिन्हित कर लिया जाय। इसी प्रकार मुख्य सड़कों के किनारे तथा रेंज मुख्यालयों के पास ऐसे स्थानों पर जहाँ देखरेख अच्छी तरह हो सकती है, फलदार वऔषधियुक्त पौधे अवश्य लगाये जायें। इस प्रयोजन हेतु तराई क्षेत्र के वन प्रभागों में एक–एक हैक्टेयर क्षेत्र अभी से चिन्हित कर इनकी रोपण व्यवस्था कर ली जाय। भूमि संरक्षण वन प्रभागों में भी उपयुक्तता के आधार पर इस प्रकार के क्षेत्र चिन्हित कर लिए जाने चाहिए। सड़कों के किनारे आम के पौधे लगाने की योजना बनाई जाय। इस बिन्दु पर आगामी वन संरक्षकों की बैठक में चर्चा भी की जायेगी।

(कार्यवाही–समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/वन संरक्षक)

4. वन क्षेत्रों में स्थित प्राकृतिक तालाबों में मत्स्य पालन के माध्यम से स्वरोजगार व अतिरिक्त राजस्व की व्यवस्था की जायं नदियों, जलाशयों में एंगलिंग/फिशिंग की नीलामी की भी कार्यवाही की जाय। एंगलिंग की दरें बढ़ाई जाय। पश्चिमी वृत्त में वन क्षेत्रों में उपलब्ध बड़े जलाशयों के बारे में वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त मछलियों को वन उत्पाद के रूप में नीलाम करने हेतु विभिन्न विधि (Legal issues) बिन्दुओं पर विचार कर प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

(कार्यवाही–व0सं0पश्चिमी वृत्त/उ0कुमाऊँ, प्र0व0तराई पूर्वी, तराई पश्चिमी, तराई केन्द्रीय, नैनीताल तथा द0 पिथौरागढ़)

5. बहती प्रकाष्ठ को विभागीय रूप से एकत्रित कर बेचने की सम्भावना पर वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त विचार कर सूचित करेंगे। इसके वित्तीय व व्यवहारिक पहलू भी देख लिए जायें।

(कार्यवाही–व0सं0 पश्चिमी वृत्त)

6. वनों की आग से सुरक्षा के लिए जन सहभागिता प्राप्त की जाय, समयबद्ध कार्यक्रम एवम् गतिशील रणनीति अपनाइ जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि बजट का सदुपयोग हो और धन का अपव्यय न हो। प्रत्येक वन अधिकारी के कर्तव्य–उत्तरदायित्व वन सुरक्षा हेतु निश्चित किये जायें।

(कार्यवाही–समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/वन संरक्षक)

7. सूखे, उखड़े, आग से जले वृक्षों का छपान कर निस्तारण की कार्यवाही की जानी चाहिए। सभी वन अधिकारी अपने–अपने कार्यक्षेत्र में वस्तुस्थिति की समीक्षा तत्काल करें।

(कार्यवाही–समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/वन संरक्षक)

8. स्थानीय जनता को पौधशाला बनाकर स्वरोजगार हेतु सहायता व जानकारी दी जाय। किसान पौधशाला व महिला पौधशाला का के उपयोग की सम्भावनाओं पर विचार किया जाना चाहिए और क्वालिटी प्लांट बनाकर इन्हें वृक्षारोपण, भूमि संरक्षण कार्यो में प्रयुक्त किया जाय।

उपरोक्त कार्यवाही इको टास्क फोर्स, सिविल सोयम, आई0ए0ई0पी0 वन प्रभागों तथा संयुक्त वन प्रबन्ध के क्षेत्रों में की जानी चाहिए। इस बारे में प्रभागवार निरूपण सभी वन संरक्षक करेंगे।

(कार्यवाही–समस्त वन संरक्षक)

9. मा0 वन मंत्री द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि जड़ी–बूटी का एकत्रण वन विभाग के माध्यम से किया जाना चाहिए तथा स्थानीय मुल्य वृद्धि, प्रसंस्करण व विपणन वन विकास निगम के माध्यम से करने हेतु श्री बी0डी0रतूड़ी, वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त एक परियोजना तैयार करें। इस विषय में यदि आवश्यक हो तो एक कार्यशाला का भी आयोजन कर लिया जाय जिसमें सभी विभागों के प्रमुख, उद्योगों के प्रमुख, भारत सरकार के प्रतिनिधि को बुलाया जाय। प्लानिंग कमीशन भारत सरकार की रिपोर्ट को भी देख लिया जाय।

(कार्यवाही–श्री बी0डी0रतूड़ी, व0सं0 पश्चिमी वृत्त)

10. इको टूरिज्म योजना के अन्तर्गत प्रत्येक प्रभागीय वनाधिकारी को कम से कम एक स्थान पर्यटन हेतु विकसित करना चाहिए। विकसित प्रत्येक स्थल के लिए प्रवेश शुल्क रखा जाय तथा इस प्रयोजन हेतु अन्य सुविधाऐं भी रखी जाय यथा कैन्टीन आदि। यह व्यवस्था भी रखी जाय कि जो धनराशि प्राप्त होती है उसका एक प्रमुख अंश रखरखाव व कार्यो हेतु प्राप्त होता रेहे और एक अंश राजस्व में जाय। इस प्रयोजन हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किये जायें व परियोजना उत्तरांचल सरकार को।

(कार्यवाही–समस्त वन संरक्षक/प्र0व0नैनीताल, पूर्वी/पश्चिमी अल्मोड़ा, उत्तरी/दक्षिणी पिथौरागढ़, रामनगर तथा हल्द्वानी)

11. वन विश्राम भवनों की दरों में वृद्धि की जानी चाहिए तथा इको टूरिज्म हेतु इन्हें तीन चार श्रेणियों में वर्गीकृत कर पर्यटकों के लिए इनमें आवपश्यक सुविधाऐं भी प्राविधानित की जानी चाहिए। प्राप्त आमदनी का एक अंश रखरखाव हेतु पुनः व्यय करने की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि पर्यटकों को उपलब्ध सुविधाओं से वे सन्तुष्ट रहें। इनकी सूची कुमाऊँ मण्डल विकास निगम को भी दी जानी चाहिए ताकि वह पर्यटकों को इस बारे में सूचित भी कर सकें। प्रमुख स्थानों पर उपयुक्त दरें निगम अथवा होटल की दरों के अनुरूप ही रखी जानी चाहिएं विभागीय अधिकारियों के लिए एक कक्ष निरीक्षण/भ्रमण हेतु रखा जाना चाहिए। इस बारे में प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत किये जायें।

(कार्यवाही–व0सं. उत्तरी/दक्षिणी कुमाऊँ, प्र0व0 नैनीताल, भू0सं0 नैनीताल, पूर्वी/पश्चिमी अल्मोड़ा, उत्तरी/दक्षिणी पिथौरागढ़)

12. आरक्षित वनों से बहने वाली नदियों जिनसे पर्यावरण को क्षति पहुंचाये बिना पत्थर, रेता, बजरी का चुगान किया जा सकता है के मामलों में भारत सरकार को प्रस्ताव भेजे जाने चाहिए। यदि इस प्रकार की नदियां सघन वनों के बीच से बहती है और वहाँ के वनों की संवेदनशीलता को देखते हुए वन उपज की चोरी की सम्भावनाऐं है तो प्रस्ताव में सूचित कर दिया जाय कि यह कार्य वन विभाग/वन निगम द्वारा क्षेत्र में संयुक्त रूप से किया जायेगा। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए यह देख लिया जाय कि स्थानीय ग्रामवासियों को उनके वास्तविक एवं निजी आवश्यकताओं जैसे निर्माण/मरम्त हेतु हक–हकूक में कोइ कठिनाइ न हो तथा इस प्रयोजन हेतु नियमानुसार रेता, पत्थर, बजरी उन्हें उपलब्ध हो। इस बारे में वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, भाखड़ा, निहाल, कैलाश व अन्य नदी नालों पर पुनः सघन परीक्षण करवा लें। इस प्रकार की कार्यवाही से राजस्व में

वृद्धि होगी व उप खनिज-परिहार की चोरी भी रोकी जा सकेगी।

(कार्यवाही-व0सं0पश्चिमी वृत्त/उत्तरी कुमाऊँ तथा दशिणी कुमाऊँ प्र0व0, हल्द्वानी, रामनगर, तराई पूर्वी/पश्चिमी व केन्द्रीय)

13. संवेदनशील बीटों को चिन्हित कर लिया जाय और इनको छोटा करने के प्रस्ताव शासन को प्रेषित कर दिये जायें। शासन के संज्ञान में स्टाफ की कमी एवं उनको रिक्त पदों को तुरन्त भरने की आवश्यकता का औचित्य दिखाते हुए पत्र लिखा जाय।

(कार्यवाही-व0सं0पश्चिमी वृत्त/समस्त प्र0व0 पश्चिमी वृत्त)

14. प्रत्येक प्रभाग में सम्भावित भू-स्खलन वाले क्षेत्र चिन्हित कर लियें जायें और उनमें भू-स्खलन की रोकथाम हेतु प्रोजेक्ट बना लियें जायें ताकि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत धन प्राप्त कर इनमें कार्यवाही की जा सके।

(कार्यवाही-वन संरक्षक, उत्तरी/दक्षिणी कुमाऊँ तथा समस्त प्र0व0 उत्तरी/दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त)

15. तात्कालिक प्रभाव से सभी प्रभागीय वनाधिकारी यह व्यवस्था सुनिश्चित करें कि वनों की सुरक्षा हेतु स्लोगन/नारे, विभिन्न चट्टानों/उपयुक्त स्थानों पर प्रदर्शित किये जायें। यथा "अपना ग्राम-अपना वन", "अपना शहर-अपना वन" तथा वनों की सुरक्षा से सम्बन्धित अन्य स्लोगन ह कार्यवाही अभियान के तौर पर की जानी है। इस प्रयोजन हेतु स्टाफ व जनता से स्लोगन आमंत्रित भी किये जाने चाहिए। इस प्रकार के कुछ स्लोगन निम्न प्रकार हैः-

1. वन हैं धरती मां के रक्षक,
   करो न इनका नाश निरर्थक।

2. जाग मुसाफिर जाग,
   रोक वनों की आग।

आदि।

यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर की जानी है। अच्छे स्लोगनों पर पुरस्कार की व्यवस्था की जा सकती है।

(कार्यवाही-समस्त प्रभागीय वनाधिकारी)

16. अभी से प्रत्येक प्रभाग में यह नियोजन किया जान है कि प्रत्येक स्कूल/कॉलेज द्वारा किसी न किसी वन क्षेत्र में बीज बुआई, वृक्षारोपण, जल व भूमि संरक्षण कार्य करायें जायें। इस प्रयोजन हेतु सुरक्षा/घेरबाड़ की व्यवस्था मानसूनी वर्षा पूर्व ही पूर्ण कर लेनी होगी। इस सम्बन्ध ा में की जा रही व्यवस्था का आगामी भ्रमण में मा0 वन मंत्रीजी स्वयं अवलोकन करना चाहेंगे। अतः सभी अधिकारियों का विशिष्ट ध्यानाकर्षण किया जाता है।

(कार्यवाही-समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/वन संरक्षक)

17. ग्रामवासियों को चारा प्रजाति की पौध लगाने, वनो की सुरक्षा हेतु उत्प्रेरित किया जाय और जन जागृति लाई जाय। विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इस बारे में ध्यान दिया जाये।

(कार्यवाही-श्री जे.पी.काण्डपाल, निदेशक, वानिकी एवं वन पंचायत प्रशिक्षण संस्थान, समस्त वन संरक्षक/समस्त प्रभागीय वनाधिकारी),

18. समस्त वन संरक्षक यह सूचित करेंगे कि वन विभाग की निर्मित सड़कों के लिए कितनी धनराशि चाहिए ताकि स्थानीय जनता हेतु यातायात की सुविधा बनी रहे। इस प्रयोजन हेतु प्रत्येक सड़क का नाम, सड़क की लम्बाई कि0मी0 में, मरम्मत हेतु अपेक्षित धनराशि तथा यातायात की सुविधा का उपयोग करने वाले यात्रियों की अनुमानित संख्या का विवरण प्रस्तुत किया जार्य वन संरक्षक यह सूचना अपने अधीनस्थ प्रभागीय वनाधिकारियों से प्राप्त कर प्रस्तुत करेंगे ताकि संहत सूचना शासन को भेजी जा सके।

(कार्यवाही-समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/वन संरक्षक)

19. सभी वन मोटर मार्ग में छायादार वृक्ष व झीलों के किनारे सौन्दर्यीकरण का एक अभियान चलाया जाय।

(कार्यवाही-समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/वन संरक्षक)

20. वन क्षेत्रों में अवैध खनन न होने पाये इस प्रयोजन हेतु प्रभागीय वनाधिकारी सम्बन्धित जिलाधिकारी से अनुरोध करेंगे कि जहाँ कहीं भी व नाप भूमि में खनन अनुज्ञा देते है वहाँ सीमा स्तम्भ अवश्य लगवा दें तथा पर्यावरण को क्षति न होस इसके लिए आवश्यक शर्तो का प्रविधान रखें। इस प्रयोजन हेतु शासन स्तर से भी पृथक से लिखा जा रहा है। ऐसे वन क्षेत्र जिनमें चूना-पत्थर या अनय कीमती उपयुक्त खनिज/उपखनिज/परिहार अधिक पर्यावरणीय क्षति बिना निकाले जा सकते है उनके प्रस्ताव भी भारत सरकार को प्रेषित कर दिये जाने चाहिए।

(कार्यवाही-समस्त वन संरक्षक)

21. मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिया जाय तथा वृक्षारोपण करते समय उपयुक्त प्रजातियां लगाने पर विशेष ध्यान दिया जाय।

(कार्यवाही-समस्त प्रभागीय वनाधिकारी)

22. विविध:- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के वन महानिरीक्षक श्री सी0पी0ओबेराय भी कुछ समय मा0 वन मंत्रीजी से वार्ता के दौरान उपस्थित थे। विचार विमर्श के उपरान्त उन्होनं केन्द्र सरकार द्वारा इकोटूरिज्म की चोजना हेतु वित्तीय सहायता देने हेतु सहमति व्यक्त की तथा इस प्रयोजन हेतु प्रोजेक्ट प्रदेश सरकार के माध्यम से भेजने के निर्देश दिये। विशेष आग्रह किया जाने के पश्चात् उन्होंने यह सहमति भी व्यक्त की कि वन्य जन्तुओं द्वारा मारे/घायल किये गये व्यक्तियों, मारे गये पशुओं एवम् खेती की क्षति आदि हेतु जो धनराशि उत्तरांचल सरकार द्वारा दी जायेगी उसके प्रसंग में केन्द्रीय सरकार उस धनराशि को "रिइम्बर्स" कर देगी। एक दो दिन में इस सम्बन्ध में बजट उत्तरांचल सरकार से अवमुक्त होने की आशा है यदि पर्याप्त धनराशि नहीं मिलती है तो प्रत्येक मामलेवार विवरण देते हुए मुख्य वन संरक्षक, वन्य जन्तु को इस पत्र की छायाप्रति लगाते हुए सूचित करेंगें ताकि केन्द्रीय सहायता प्राप्त हो सकें।

(कार्यवाही-समस्त वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी)

मा0 वन मंत्रीजी मार्च 2001 के प्रथम सप्ताह/पखवाड़े में इस बात की समीक्षा करेंगें कि प्रत्येक जनपद में कौन-कौन से विकास कार्य वन संरक्षण अधिनियम के कारण अवरूद्ध पड़े है। इस प्रयोजन हेतु व अल्मोड़ा में क्रमशः अल्मोड़ा व बागेश्वर तथा लोहाघाट में चम्पावत तथा पिथौरागढ़ जनपदों तथा नैनीताल में हल्द्वानी तथा ऊधमसिंह नगर से सम्बन्धित लम्बित मामलों की समीक्षा करेंगे इसलिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी कृपया व्यक्तिगत ध्यान देकर यदि कोई प्रकरण संयुक्त निरीक्षण अथवा अन्य कारणों से लम्बित हो तो शीर्ष प्राथमिकता पर निस्तारण करवा लें। इस सम्बन्ध में पृथक से नोडल अधिकारी को भी लिखा जा रहा है।

भवदीय
(ईश्वरीदत्त पाण्डे)
मुख्य वन संरक्षक (कुमाऊँ)
उत्तरांचल, नैनीताल

संख्याः (1) / उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकितों को सूचनार्थ प्रेषित।

1. मा0 वन मंत्री के निजी सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल, नैनीताल।

(ईश्वरीदत्त पाण्डे)
मुख्य वन संरक्षक (कुमाऊँ)
उत्तरांचल, नैनीताल

संख्याः (2) / उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, (कुमाऊँ) की निरीक्षण पत्रावली हेतु।

(ईश्वरीदत्त पाण्डे)
मुख्य वन संरक्षक (कुमाऊँ)
उत्तरांचल, नैनीताल